UPGK010047732026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2065/2026

पट्टू उर्फ लक्ष्मण चौहान पुत्र दिनेश चौहान, निवासी ग्राम- हरिजनपुर, थाना- सिकरीगंज, जिला- गोरखपुर। .....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 35/2026
अंतर्गत धारा- 103(1), 115(2), 190, 191(2) B.N.S.
थाना- सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 06.06.2026

आवेदक/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 35/2026, अंतर्गत धारा- 103(1), 115(2), 190, 191(2) B.N.S., थाना- सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी का भाई मुनीब चौहान ग्राम कनैला से हरिजनपुर शादी में गया था। बारात में डी०जे० बजने के दौरान साईड में डी०जे० देख रहे वादिनी के भाई को सतेन्द्र, निक्कू, पाविद आदि ने लाठी व पंच से आक्रमण करके बुरी तरह घायल कर दिया, यह जानने के बाद कि अब वादिनी का भाई बचने वाला नहीं है उसे छोड़कर भाग गये।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है तथा कोई जुर्म कारित नहीं किया है। प्रार्थी को पुलिस की मिली भगत से फर्जी तरीके से मुकदमे में फंसा दिया गया है। प्रार्थी घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी का नाम काफी विलंब से तथा तथा सुनी सुनाई बातों एवं अफवाहों तथा फर्जी तथ्यों के आधार पर पुलिस द्वारा वादी मुकदमा से मिलकर प्रकाश मे लाया गया। घटना के समय प्रार्थी मौके पर मौजूद नहीं था तथा घटना के बारे मे कुछ नहीं जानता है। प्रार्थी का मृतक से कोई रंजिश नहीं था। तथाकथित घटना दो पक्षों के आपसी विवाद से जुड़ी है जिसमे एक पक्ष प्रार्थी के गांव के है तथा दूसरा पक्ष अन्य गांव से आयी बारात से हैं। प्रार्थी को केवल गांव एवं बिरादरी को होने के कारण उक्त मुकदमे मे अभियुक्त बना दिया गया। विवेचक द्वारा विवेचना मे घोर लापरवाही की गयी है तथा साक्ष्य के संकलन

सही ढंग से नहीं किया गया है। प्रार्थी दिनांक 10.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी जमानत पर छूटने पर विवेचना मे पूरा सहयोग करेगा। उपरोक्त के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के भाई की निर्मम हत्या की गयी है। अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः आवेदक/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसर में वादिनी मुकदमा के भाई मुनीब चौहान की हत्या करने का अभियोग है। केस डायरी में अंकित चश्मदीद साक्षी/चोटहिल आकाश चौहान के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के भाई को लाठी, बांस के भण्डे, पंच इत्यादि से बुरी तरह मारा पीटा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाना कहा गया है। प्रस्तुत मामला हत्या जैसा गंभीर अपराध से संबंधित है। प्रकरण में सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिकथित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त पट्टू उर्फ लक्ष्मण चौहान द्वारा मु०अ०सं०- 35/2026, अंतर्गत धारा- 103(1), 115(2), 190, 191(2) B.N.S., थाना- सिकरीगंज, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांक-06.06.2026</u>

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.06.06 16:50:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court